राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1354/2012/बांसवाड़ा.
2. अपील संख्या – 1355/2012/बांसवाड़ा.

मैसर्स नरेन्द्र सिंह हनुमान सिंह, बांसवाड़ा. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, उदयपुर.
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, बांसवाड़ा. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अरिंजय जैन,
अधिकृत प्रतिनिधि .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. एस. राठौड़,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20/01/2014

निर्णय

ये दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, उदयपुर द्वारा अपीलार्थी की अपील संख्या क्रमशः 105 व 106/वेट/10–11 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 7.2.2012 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं।

इन दोनों प्रकरणों में पक्षकार व विवादित बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी डोडा–पोस्त व भांग का व्यवसाय करता है। आलौच्य अवधि वर्ष 2006–07 व 2007–08 के दौरान व्यवहारी द्वारा क्रमशः रूपये 76,00,000/– व 75,41,480/– लाईसेंस फीस के रूप में आबकारी विभाग को अदा किये गये तथा विभाग में माल की अनुपलब्धता के कारण क्रमशः रूपये 45,61,722/– व रूपये 41,08,450/– की हानि होना बताया गया। सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, बांसवाड़ा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों के लिये नियमित कर निर्धारण आदेश वेट अधिनियम की धारा 24(6) के तहत दिनांक 16.12.2010 को पृथक–पृथक पारित करते हुए उक्त हानि को अस्वीकार किया गया एवं आबकारी विभाग को चुकाई गई लाईसेंस

लगातार.....2

फीस को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए इसमें 10 प्रतिशत लाभांश जोड़ा गया एवं बिक्रीत माल सहित कुल राशि क्रमशः रूपये 1,95,10,123/— व 1,82,79,628/— पर वैट, ब्याज, बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण धारा 58 के तहत शास्ति व ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण धारा 73(2) के तहत शास्ति आरोपित करते हुए कुल मांग क्रमशः रूपये 31,01,781/— व रूपये 32,56,696/— का आरोपण किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें अपीलीय अधिकारी के एकपक्षीय पारित किये गये अपीलाधीन संयुक्तादेश दिनांक 7.2.2012 से अस्वीकार की गयी। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा ये द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि आलौच्य अवधियों के दौरान आबकारी विभाग में माल की अनुपलब्धता के कारण अपीलार्थी को माल प्राप्त नहीं हो सका एवं व्यवसाय में नुकसान होने का तथ्य कर निर्धारण अधिकारी को बता दिया गया था। इसके बावजूद कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी को सुनवाई एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बगैर नुकसान को अस्वीकार करते हुए व्यवहारी के विरूद्ध भारी मांग सृजित कर दी गयी। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी ने भी अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर प्रकरणों में एकपक्षीय आदेश पारित करते हुए कर निर्धारण आदेशों की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की है। उक्त कथन के साथ विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने का अनुरोध किया।

प्रत्यर्थी के विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेशों व अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रकरणों के उपलब्ध रेकॉर्ड को दृष्टिगत रखते हुए ही कर निर्धारण आदेश पारित किये हैं, जिनमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु जारी नोटिसों की पालना में अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर प्रकरणों में एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किये जाने में भी कोई त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

लगातार.....3

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। प्रकरणों में उपलब्ध रेकॉर्ड एवं कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेशों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधियों के दौरान व्यवसाय में घाटा होने का तथ्य प्रकट किया गया था, किन्तु इस बाबत आबकारी विभाग से जारी अनुपलब्धता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये एवं ना ही ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। इसी प्रकार कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी को उक्त प्रमाण—पत्र व ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने बाबत समुचित अवसर प्रदान किया जाना भी नहीं पाया जाता है तथा घाटे को अस्वीकार करते हुए कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आलोक में उचित नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा भी अपीलार्थी व्यवहारी को सुने बगैर अपीलाधीन आदेशों से कर निर्धारण आदेशों की पुष्टि किया जाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता।

उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से अपास्त किये जाते हैं तथा दोनों प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते हैं कि वे अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त विधि अनुसार दोनों प्रकरणों में पुनः निर्णय पारित करें। साथ ही अपीलार्थी व्यवहारी को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरणों से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज/साक्ष्यों सहित दिनांक 24/02/2014 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंवे।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।

20.1.2014

(मदन लाल)
सदस्य

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
20/01/14